

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला—उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S

उनवान

1. श्री देवीलाल पिता रामलाल बैरवा निवासी मामादेव थामला तहसील घासा

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घासा तहसील घासा।

.....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 237/24 (वाद) GCMS No. – 2024/516

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-
वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा कालानाडा पटवार हल्का थामला तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 41 पर दर्ज आराजी नम्बर 970 रकबा 0.1214 हैक्टेयर भूमि में खातेदार गोकल पुत्र भेरा जाति बोला के बजाय गोकल उर्फ रामलाल पुत्र भेरा जाति बैरवा संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 09.05.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

